न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या– 172/2008–2009

ज्ञान एजूकेशन इन्सटीट्यूट लालपुर द्वारा प्रबन्धक श्री यतेन्द्र कुमार

बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा लालपुर

आदेश

प्रार्थी ज्ञान एजूकेशन इन्सटीट्यूट लालपुर द्वारा प्रबन्धक श्री यतेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह निवासी सैदपुर पो. बल्देव तहसील महावन जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया है कि मौजा लालपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–179 खसरा संख्या–865 रकबा 1.323हे. भूराजस्व 8.00 रुपये का वह संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक 10.6.2009 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा लालपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–179 खसरा संख्या–865 रकबा 1.323हे. भूराजस्व 21.85 रुपये के ज्ञान एजूकेशन इन्सटीट्यूट लालपुर द्वारा प्रबन्धक श्री यतेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह निवासी सैदपुर पो. बल्देव तहसील महावन जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। यह भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है, जो कृषि भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत आच्छादित है। यह भूमि आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण में अधिग्रहित भूमि नहीं है। उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। ग्राम लालपुर चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि को तहसीलदार, मथुरा द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

उभय पक्षो को सूचना–पत्र जारी किया गया, किन्तु कोई आपत्ति किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अध्ययन किया गया ।

अतः शपथ–पत्र एवं तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 10.6..2009 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत मौजा लालपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–179 खसरा संख्या–865 रकबा 1.323हे. भूराजस्व 21.85.रुपये को कृषिक से अकृषिक इस शर्त के साथ उद्घोषित किया जाता है कि अकृषिक के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाने पर यह उद्घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(वीरेन्द्र सिंह सचान)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

1– प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पंजीकृत कर एक प्रति उपलब्ध करायी जाय ।

2– प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि अभिलेखों में इन्द्राज कराकर एक प्रति उपलब्ध करायी जाय ।

(वीरेन्द्र सिंह सचान)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

660

22/6/09

सत्य प्रतिलिपि

22/6/09